क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व अप्रार्थी सरकार का जवाब पेश हो चुका है, जो शामिल है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24/5/24 को पेश हो।
	24/5/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी की बहस सुनने एवं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट का अवलोकन पर हम पाते हैं कि उक्त आदेश खातेदारी भूमि वादी ने क्रय रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से प्राप्त की है जिसमें किरण देवी पत्नी सुरजमल पाट हो गया है जबकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में कबली देवी पत्नी सुरजमल है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)